न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र वहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 60 / 24 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2024 / 183

उनवान

1. श्री जगु पुत्र जैचन्द गाडरी निवासी गाडरीयां की भागल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री रामा पुत्र जैचन्द गाडरी निवासी गाडरीयां की भागल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री वरदा पुत्र नारायण गाडरी निवासी गाडरीयां की भागल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री उंकार पुत्र गोकल जी गाडरी निवासी गाडरीयां की भागल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 19.09.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण के खातेदारी साबिक खाता संख्या 1357 में आराजी न. 1564 / 4–1565 रकबा 0–09 बीघा में रामा पिता जैचन्द 1 / 3 हिस्सा, जग्गु पिता जैचन्द 1 / 2 हिस्सा, वरदा पिता नारायण 1 / 6 हिस्सा, जाति गाडरी दर्ज था तथा आराजी न. 2374 / 1 रकबा 0–11 बीघा, आराजी न. 2374 / 10 रकबा 0–03 बीघा कुल किता 2 रकबा 0–14 बीघा में रामा पिता जैचन्द 1 / 3 हिस्सा, जग्गु पिता जैचन्द 1 / 3 हिस्सा, वरदा पिता नारायण 1 / 3 हिस्सा जाति गाडरी दर्ज था। हाल ही रेकर्ड में जमाबंदी संवत 2078–81 के खाता संख्या 1488 में खसरा न. 2861 रकबा 0.1200 है. में रामा पिता जैचन्द 1 / 3 हिस्सा, जग्गु पिता जैचन्द 1 / 2 हिस्सा, वरदा पिता नारायण 1 / 6 हिस्सा जाति गाडरी दर्ज किया गया है। उक्त आराजी न. 2861 का मिलान क्षेत्रफल देखने पर पता चलता है कि यह साबिक आराजी न. 2374 / 1 रकबा 0–11 बीघा का ... इस खाते को छोड कर अन्य दो आराजी न. 1564 / 1–1565 रकबा 0–... रकबा 0–03 बीघा का नवीन रेकर्ड में अमल नहीं किया गया है तथा ... पिता गोकल के ही खाते में हाल सेटलमेंट अनुसार नवीन आराजी न. कायम करते हुए ... किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

2 यह कि हाल व साबिक नक्शे का मिलान करने पर आराजी न 2861 रकबा 0.1200 है का मिलान क्षे. में साबिक न गलत लिखा जाकर 2374/1 रकबा 0–11 बीघा का बना हुआ बताया गया है जबकि नक्शे अनुसार उक्त न 2861 रकबा 0.1200 है खसरा न 1564/4–1565 रकबा 0–09 बीघा, 2374/10 रकबा 0–03 बीघा कुल किता रकबा 0–12 म बना हुआ हैं। साबिक आराजी न 2374/1 रकबा 0–11 बीघा की तरमीम साबिक नक्शे में नही होने तथा साबिक नक्शों का अवलोकन किये अनुसार खाता संख्या 125 में आराजी न 2855 रकबा 0.06 आंशिक कुल 0.06 में से 0.0450 प्रार्थीगण का तथा शेष रकबा 0.0150 बदस्तुर उंकार पुत्र गोकल का शामिल किया गया तथा आराजी न. 2856 रकबा 0.06 सपूर्ण बनाये गये जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 उंकार पिता गोकल गाडरी के नाम पर दर्ज है। उंकार पुत्र गोकल गाडरी के हिस्से पर वर्तमान में आराजी न. 2855, 2556 पर नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 10.06.2022 से भारतीय स्टेट बैंक भीण्डर का रहन दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा नवीन राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 को पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 2 का जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज आराजी न. 2855, 2856 को विपक्षी संख्या 2 उंकार पुत्र गोकल गाडरी के नाम दर्ज होने से विपक्षी संख्या 3 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा भीण्डर ने ऋण देते हुये उक्त आराजी न. पर अपने पक्ष में रहन दर्ज कराया जो की वर्तमान जमाबंदी में रहन का दाखिला लगा हुआ हैं। उक्त आराजी न. पर राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी विपक्षी संख्या 1 ने रहन नामा दर्ज कर नई जमाबंदी उपलब्ध कराई जिस पर विपक्षी संख्या 3 ने विपक्षी संख्या 2 को ऋण उपलब्ध कराया जिसका विपक्षी संख्या 2 उपयोग उपभोग कर रहा हैं। अगर उक्त खसरा संख्या प्रार्थीगण के नाम घोषित होती है तो विपक्षी संख्या 3 द्वारा दिया गया ऋण प्रभावित होगा। उक्त आराजी न. प्रार्थीगण के नाम घोषित करने से पूर्व विपक्षी संख्या 2 द्वारा अदेय प्रमाण पत्र लिया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं।

4. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भीण्डर की जमाबंदी समवत् 2068–71 के खाता संख्या 1357 में आराजी न. 1564/4–1565 रकबा 0–09 बीघा में रामा पिता जैचन्द 1/3 जगु पिता जैचन्द 1/3 वरदा पिता नारायण 1/6 जाति गाडरी दर्ज था तथा आराजी न. 2374/1 रकबा 0–11 आराजी न. 2374/10 रकबा 0–03 बीघा कुल किता 2 रकबा 0–14 बीघा में रामा पिता जैचन्द 1/3 जगु पिता जैचन्द 1/3 वरदा पिता नारायण 1/3 जाति गाडरी दर्ज था। हाल रेकर्ड में जमाबन्दी संवत 2078–81 के खाता संख्या 1488 में आराजी न 2861 रकबा 0.12 में रामा पिता जैचन्द 1/3 जगु पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

जैचन्द 1/2 वरदा पिता नारायण 1/6 जाति गाडरी दर्ज किया हुआ है उक्त खसरा न 2861 का मिलान क्षे देखने पर पता चलता है कि न साविक न 2374/1 रकबा 0.11 का बनाया गया है। इस खाते को छोड़कर अन्य दो आराजी नम्बरों 1564/4-1565 रकबा 0-09, 2374/10 रकबा 0-03 बीघा का नवीन रकर्ड में अमल नहीं किया गया है तथा पूर्व खातेदार उंकार पिता गोकल गाडरी के ही खाते में हाल सेटलमेंट अनुसार नवीन न कायम करते हुए किया गया है। हाल व साविक नक्शे का मिलान करने पर पाया कि आराजी न 2861 रकबा 0.12 का मिलान क्षेत्रफल में साविक न. गलत लिखा जाकर 2374/1 रकबा 0.11 का बना हुआ बताया गया है जबकि नक्शे अनुसार उक्त नम्बर 2861 रकबा 0.12 साविक खसरा नम्बरा 1564/4-1565 रकबा 0-09, 2374/10 रकबा 0-03 बीघा कुल किता 2 रकबा 0-12 से बनाया हुआ हैं।

5. साविक आराजी न. 2374/1 रकबा 0.11 की तरमीम साविक नक्शे में नही होने तथा बंटवारा नामान्तरण में भी नहीं होने से उक्त आराजी न. के नवीन आराजी न. खातेदारों का कब्जा बताये अनुसार व हाल तथा साविक नक्शों का अवलोकन किये अनुसार खाता सं. 125 में आराजी न. 2855 रकबा 0.06 आंशिक (कुल 0.06 में से 0.0450 प्रार्थीयान का शेष रकबा 0.0150 बदस्तुर उंकार पुत्र गोकल का शामिल किया गया) तथा खसरा न. 2856 रकबा 0.06 सम्पूर्ण बनाये गयें है जों वर्तमान में उंकार पिता गोकल गाडरी के नाम दर्ज है। उंकार पुत्र गोकल गाडरी के हिस्से पर वर्तमान में खसरा न. 2855, 2856 पर नामान्तरण संख्या 179 दिनांक 10.06.2022 से भारतीय स्टेट बैंक भीण्डर का रहन दर्ज हैं।

6. तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर बताया कि हाल जमाबंदी संवत 2078-81 में खाता सं. 1488 में खसरा न. 2861 रकबा 0.12 में रामा पिता जैचन्द 1/3 जगु पिता जैचन्द 1/2 वरदा पिता नारायण 1/6 जाति गाडरी के बजाय नवीन हिस्से रामा पिता जैचन्द 1/3 जगु पिता जैचन्द 11/24 वरदा पिता नारायण 5/24 जाति गाडरी सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना उचित है तथा खाता सं. 125 में खसरा न. 2856 रकबा 0.06 सम्पूर्ण उंकार पिता गोकल गाडरी रहन भारतीय स्टेट बैंक भीण्डर के बजाय रामा पिता जैचन्द 1/3 जगु पिता जैचन्द 1/3 वरदा पिता नारायण 1/3 जाति गाडरी सा.देह दर्ज किया जाना उचित है तथा खसरा न. 2855 रकबा 0.06 उंकार पिता गोकल गाडरी रहन भारतीय स्टेट बैंक भीण्डर के बजाय प्रस्तावित नक्शे अनुसार खसरा न. 2855/1 रकबा 0.0450 में रामा पिता जैचन्द 1/3 जगु पिता जैचन्द 1/3 वरदा पिता नारायण 1/3 जाति गाडरी दर्ज किया जाना उचित है व खसरा नं. 2855/2 रकबा 0.0150 उंकार पिता गोकल गाडरी रहन भारतीय स्टेट बैंक भीण्डर दर्ज किया जाना उचित है किन्तु भारतीय स्टेट बैंक भीण्डर रहन उंकार पुत्र गोकल गाडरी के नाम रकबा दर्ज रकबा परिवर्तित होकर 0.1050 है. कम हो जायगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:51:23 IST
Reason: Self Attested

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अभिभाषक प्रार्थी के कथनानुसार मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की साविक आराजी न 1564 / 4–1565 रकबा 0–09 बीघा रामा पिता जैचन्द 1 / 3 जगु पिता जैचन्द 1 / 2 वरदा पिता नारायण 1 / 6 जाति गाडरी के नाम दर्ज था तथा अन्य आराजी न 2374 / 1, 2374 / 10 कुल किता 2 रकबा 0–14 बीघा में प्रार्थीगण के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज था। नवीन रेकर्ड में मिलान क्षैत्रफल अनुसार साविक आराजी न 2374 / 1 रकबा 0–11बीघा का नवीन खसरा न 2861 रकबा 0.12 है बनाया गया तथा अन्य दो आराजी न 1564 / 4–1565 व 2374 / 10 का नवीन रेकर्ड में अमल दरामद नही किया गया तथा पूर्व खातेदार उंकार पिता गोकल गाडरी के खाते में ही दर्ज किये गये साथ ही साविक आराजी न 2374 / 1 रकबा 0–11 दिया के जो नवीन आराजी न 2861 कायम किये गये है वह भी गलत हैं जबकि नक्शा अनुसार आराजी न 2861 आराजी न 1564 / 4–1565, 2374 / 10 से बना हैं। अतः प्रार्थी द्वारा नवीन रेकर्ड में हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 2 द्वारा अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही प्रार्थनाग्रस्त भूमि को प्रार्थी के नाम कराये जाने का निवेदन किया।

8. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया हैं कि आराजी न 2861 रकबा 0.12 का मिलान क्षैत्रफल में साविक न. गलत लिखा जाकर 2374 / 1 रकबा 0–11 का बना हुआ बताया गया है जबकि नक्शें अनुसार उक्त नम्बर 2861 रकबा 0.12 साविक खसरा नम्बरों 1564 / 4–1565 रकबा 0–09, 2374 / 10 रकबा 0–03 बीघा कुल किता 2 रकबा 0–12 से बनाया हुआ हैं साथ ही साविक खसरा न. 1564 / 4–1565, 2374 / 10 का नवीन रेकर्ड में अमल नहीं किया गया हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा खातेदारों के कब्जे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर हाल जमाबंदी संवत 2078–81 में खाता सं. 1488 में खसरा न. 2861 रकबा 0.12 में रामा पिता जैचन्द 1 / 3 जगु पिता जैचन्द 1 / 2 वरदा पिता नारायण 1 / 6 जाति गाडरी के बजाय नवीन हिस्से रामा पिता जैचन्द 1 / 3 जगु पिता जैचन्द 11 / 24 वरदा पिता नारायण 5 / 24 जाति गाडरी सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना तथा खाता सं. 125 में खसरा न. 2856 रकबा 0.06 सम्पूर्ण उंकार पिता गोकल गाडरी रहन भारतीय स्टेट बैंक भीण्डर के बजाय रामा पिता जैचन्द 1 / 3 जगु पिता जैचन्द 1 / 3 वरदा पिता नारायण 1 / 3 जाति गाडरी सा.देह दर्ज किया जाना व खसरा न. 2855 रकबा 0.06 उंकार पिता गोकल गाडरी रहन भारतीय स्टेट बैंक भीण्डर के बजाय प्रस्तावित नक्शे अनुसार खसरा न. 2855/1 रकबा 0.0450 में रामा पिता जैचन्द 1 / 3 जगु पिता जैचन्द 1 / 3 वरदा पिता नारायण 1 / 3 जाति गाडरी दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा भीण्डर अपने ऋण की

राशि खातेदार की शेष भूमि से वसूल करें। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त अधिकारी (राजस्व) अधिकारियों को भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों का राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/रेफ्रेन्स/6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(12) राज.16/92/20 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत 2078-81 की खाता संख्या नया 1488 में प्रार्थीगणा के नाम दर्ज हिस्से का संशोधित करते हुये जगु पुत्र जैचन्द हिस्सा 1/2, रामा पुत्र जैचन्द हिस्सा 1/3, वरदा पुत्र नारायण हिस्सा 1/6 के बजाय जगु पुत्र जैचन्द हिस्सा 11/24, रामा पुत्र जैचन्द हिस्सा 1/3, वरदा पुत्र नारायण हिस्सा 5/24 दर्ज किये जाने व खाता संख्या नया 125 की आराजी न. 2855 रकबा 0.0600 है. में से 0.0450 है., आराजी न. 2856 रकबा 0.06 है. सम्पूर्ण खातेदार ऊंकार पुत्र गोकल गायरी के बजाय रामा पुत्र जैचन्द हिस्सा 1/3, जगु पुत्र जैचन्द हिस्सा 1/3, वरदा पुत्र नारायण हिस्सा 1/3 जाति गाडरी के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजी न. 2855 का शेष रकबा 0.0150 है. खातेदार ऊंकार पुत्र गोकल गायरी के नाम बदस्तूर रहें। आराजी न. 2855 के शेष रकबे 0.0150 पर रहन दर्ज रहें तथा शेष आराजी 2855/1 रकबा 0.0450, 2856 रकबा 0.06 है. भूमि से रहन हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक शाखा भीण्डर अपने ऋण की राशि बाकिदार की शेष भूमि से वसूल करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested